अन्तर्गत न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, समस्तीपुर

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र सं0–1566 / 2026

रंजीत महतो उर्फ ननकी महतो एवं दो अन्य बनाम् बिहार सरकार

08.07.2026 आवेदक / अभियुक्त रंजीत महतो उर्फ ननकी महतो, 2. रंजन देवी एवं 3. चान्दनी कुमारी, जिन्हें वारिसनगर थाना कांड सं0–23 / 2026, अन्तर्गत धारा 137(2),96,3(5) भा0 न्या0 सं0, में गिरफ्तारी की आशंका है, की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई हेतु अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी सूचक कैलाशनाथ सिंह के आवेदन–पत्र के आधार पर आवेदकगण सहित अन्य अभियुक्त के विरूद्ध संस्थित किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार दिनांक 17.01.2026 को समय करीब 11.00 बजे दिन में उसकी नाबालिग लड़की नेहा सिंह, उम्र लगभग–16 वर्ष अपने घर से मां को यह बताकर निकली कि किशनपुर बाजार से अपनी सहेली चान्दनी के घर से आती है। काफी देर हो जाने के बाद जब वह घर नहीं आई तो वह अपने स्तर से उसके घर जाकर पता किया तो वहां पूछ–ताछ के क्रम में लोगों के द्वारा बताया गया कि उसकी बेटी को रमण कुमार द्वारा अगवा कर लिया गया है। इसमें उसका पिता रंजीत महतो उर्फ ननकी महतो, उसकी मां एवं बेटी चान्दनी कुमारी सभी एक सोची–समझी साजिश के तहत उसकी बेटी को गायब कर दिया है।

आवेदक अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सिकन्दर कुमार अग्रिम जमानत आवेदन–पत्र को प्रचालित करते हुए कथन किये कि आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष हैं एवं कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण को दुश्मनी एवं द्वेष के कारण इस वाद में झूठा फंसा दिया गया है। प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि सारा आरोप अभियुक्त रमण कुमार के विरूद्ध लगाया गया है। पीड़िता द्वारा अपने बयान में आवेदकगण के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। आवेदकगण को इस घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पीड़िता के बयान से यह भी स्पष्ट है कि घरेलू विवाद के कारण वह घर छोड़कर चली गई। आवेदकगण के पलायन एवं उनलोगों के द्वारा साक्ष्य के साथ छेड–छाड़ की भी संभावना नहीं है तथा वे बंध–पत्र दाखिल करने को तैयार हैं। अतः आवेदकगण को उनकी गिरफ्तारी या निम्न न्यायालय में आत्म समर्पण करने की स्थिति में जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाये।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध किए।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। मूल अभिलेख के साथ पीड़िता नेहा सिंह द्वारा धारा 183 भा0 ना0 सु0 सं0 के अन्तर्गत दिया गया बयान उपलब्ध है जिसमें वह आवेदकगण के संबंध में कुछ भी नहीं कही है एवं जमानत आवेदन पत्र की कंडिका 3 के अनुसार आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं आवेदकगण के विरूद्ध लगाए गए आरोप पर विचारोपरांत आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Web Copy

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र सं0–1566 / 2026

लगातार

08.07.2026 अतः आवेदक अभियुक्त रंजीत महतो उर्फ ननकी महतो, 2. रंजन देवी एवं 3. चान्दनी कुमारी द्वारा आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर न्यायालय में आत्म समर्पण करने या गिरफ्तार होने पर मो0 10,000 रू0 साथ समान राशि के दो प्रतिभुओं सहित बंध–पत्र भा0 ना0 सु0 सं0 की धारा 482(2) के शर्तो के साथ दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि वे इस मामले के अनुसंधान एवं विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम

Web Copy